

उपाध्यक्ष कार्यालय
लखनऊ विकास प्राधिकरण
कम्प्यूटर संख्या 47627
दिनांक 4/3/2009

संख्या: 780/आठ-1-9-16 समिति/098

प्रेषक,

श्रीकृष्ण  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,  
आवास विकास परिषद,  
उ०प्र० लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,  
समस्त विकास प्राधिकरण,  
उ०प्र०।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 4 फरवरी, 2009

विषय: उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों की कार्स्टिंग के लिए आदर्श मार्ग दर्शक सिद्धान्त (गाईड लाईन्स) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-4049/9-आ-1-99/16 समिति-98, दिनांक 20.11.99 के माध्यम से निर्धारित पूर्व व्यवस्था को अतिक्रमित करते हुए उक्त विषय पर निम्न व्यवस्था की जाती है:-

"कार्नर सम्पत्ति पर कुल मूल्य का 10 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य लिया जायेगा। अन्य किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जायेगा।"

भवदीय  
4/3/09  
(श्रीकृष्ण)  
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र०।
4. निदेशक (अनुश्रवण), आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि इसे आवास एवं शहरी नियोजन के वेबसाईट पर अपलोड करते हुए समस्त सम्बन्धितों को सूचित करने का कष्ट करें।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एच०पी० सिंह)  
अनुसचिव